कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ)

आदेश फलक

विविद वाद सं0 02/16–17

08-01-18

–:आदेश फलक:–

विविद वाद सं0 02/16–17

प्रस्तुत वाद आवेदक संजय कुमार नायक पिता श्री नागेश्वर प्रसाद नायक ग्राम+पो0+थाना– माण्डू जिला रामगढ के आवेदन पत्र पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक का कहना है कि माण्डू थाना नं0 114 खाता सं0 44 रकवा 0.17 ए0 भूमि केवाला सं0 1289 दिनांक 06.02.1959 द्वारा श्रीमति कौशल्या देवी वो श्रीमति सुमित्रा देवी के नाम से खरीदगी हासिल है। जिसकी जमाबंदी राजस्व पंजी II के भोलूम X पेज नं0 107 में कौशल्या देवी वो सुमित्रा देवी के नाम से दर्ज है।

आवेदक का कहना है कि उक्त भूमि में से आधी भूमि अर्थात 0.8 $^{1/2}$ ए0 भूमि उनके माता स्व0 सुमित्रा देवी के हिस्से की है। जो उनकी माता है तथा उनका निधन हो चुका है। उनका कहना है कि उनकी माता स्व0 सुमित्रा देवी के हिस्से की भूमि रकवा 0.8 $^{1/2}$ ए0 अलग कर उनके नाम से जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत किया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। यह समिलात जमाबंदी तथा उत्तराधिकार नामांतरण से जुडा मामला है। अभिलेख पर प्रथम कार्रवाई 06.05.2016 को की गई थी किन्तु अभितक आवेदक द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। इससे ऐसा प्रतित होता है कि आवेदक को इस मामले में कोई अभिरूची नही हैं तथा इसी Obersation के साथ अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
माण्डू

अंचल अधिकारी
माण्डू
8.01.18